

टोंक
29/2018/223

आर मण्डल के आदेश से S.O. Com 2009 टोंक से Transfer.

रामकरण

बनाम

रामरतन वर्मा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/2009/29 श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.19	<p>रामकरण बनाम राम रतन वर्मा ?</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के पत्रांक: राम/न्याय/84(29)06/टोंक 16733 दिनांक 18.01.2017 द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के यहाँ विचाराधीन प्रकरण संख्या 346/2009 बउनवान रामकरण बनाम रामरतन वर्मा को राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश दिये गये। न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक में अपील बहस हेतु नियत थी तथा पत्रावली को स्थानान्तरित वक्त उभयपक्ष के अभिभाषक को बताते हुए पत्रावली न्यायालय हाजा को भिजवायी गई है। न्यायालय हाजा द्वारा अपील को मान्नीय मण्डल के आदेश से पुनः दर्ज किया जाकर, न्यायहित में पक्षकारान को अदालती नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के स्वयं के द्वारा नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट बाद सूचना के भी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अभिभाषक अपीलांट को कई बार रूक-रूक कर आवाजे दिलाई किन्तु उपस्थित नहीं हुए।</p> <p>अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर